

**न्यायालय— सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर  
जिला—बालाघाट, (म.प्र.)**

आप.प्रकरण.क.—01 / 2002  
संस्थित दिनांक—14.08.2001  
फाईलिंग क. 234503000252002

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—बैहर,  
जिला—बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — **अभियोजन**

// **विरुद्ध** //

पीर मोहम्मद पिता नियाज मोहम्मद, उम्र—40 वर्ष,  
निवासी—ग्राम दल्लीराजहरा, थाना—दल्लीराजहरा,  
जिला—बालौद (छ.ग.)

— — — — — **आरोपी**

// **निर्णय** //

**(आज दिनांक—13/08/2015 को घोषित)**

1— आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—304 (ए) के तहत आरोप है कि उसने दिनांक—30.06.2001 को शाम 06:15 बजे, थाना बैहर अंतर्गत धोबी तिराहा में लोकमार्ग पर वाहन टाटा क्रमांक—एम.पी.24/सी—3006 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मृतक मधुसूदन की मृत्यु ऐसी स्थिति में कारित की, जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती है।

2— संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि सूचनाकर्ता खूबचंद वान्डरे दिनांक—30.06.2001 को अपने बच्चे के ईलाज के लिए जबलपुर जाने हेतु अपने साडू मधुसूदन के पास बैहर आया था कि शाम करीब 6:15 बजे वह धोबी तिराहे बैहर में खड़ा होकर बात कर रहा था, तभी उसका साडू मधुसूदन तहसील तरफ से अपनी हीरोहोण्डा मोटरसाइकिल से धोबी चौराहे पर आ रहा था, तभी मलाजखण्ड तरफ से एक सफेद रंग की टाटा 407 का ड्राईवर तेजी एवं लापरवाही से अपनी गाड़ी चलाकर आया और उसकी गाड़ी का पिछला हिस्सा उसके साडू से टकरा गया, जिससे उसके साडू के सिर में व बदन में चोटें आईं और खून निकलने लगा। उसने गाड़ी को रुकवाया जिसका क्रमांक—एम.पी.24/सी.—3006 था, जिसके चालक ने अपना नाम पीर मोहम्मद बताया था। उसने अपने साडू मधुसूदन के साथ पुलिस थाना बैहर जाकर

रिपोर्ट दर्ज कराई। उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना बैहर में आरोपी पीर मोहम्मद के विरुद्ध प्रथम सूचना प्रतिवेदन क्रमांक-129/01, धारा-279, 337 भा.द.वि. के तहत दर्ज की गई। ईलाज के दौरान मधुसुदन की मृत्यु हो जाने पर वाहन चालक के विरुद्ध धारा-304(ए) भा.द.वि. का ईजाफा किया गया। पुलिस के द्वारा विवेचना के दौरान उक्त घटना स्थल का मौका नक्शा तैयार किया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये, दुर्घटना कारित वाहन मय दस्तावेज के जप्त किया तथा पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3- आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-304(ए) के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। आरोपी ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को निर्दोष व झूठा फँसाया जाना प्रकट किया है। आरोपी द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं की गई है।

4- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

1. क्या आरोपी ने दिनांक-30.06.2001 को शाम 06:15 बजे, थाना बैहर अंतर्गत धोबी तिराहा में लोकमार्ग पर वाहन टाटा क्रमांक-एम.पी.24/सी.-3006 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मृतक मधुसुदन की मृत्यु ऐसी स्थिति में कारित की, जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती है ?

#### विचारणीय बिन्दु पर सकारण निष्कर्ष :-

5- खूबचंद (अ.सा.1) ने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को जानता है। वह दिनांक-30.06.2001 को शाम 6:00 बजे वह अपने लड़के का ईलाज कराने ग्राम लिंगा से बैहर आया था। शाम को जब वह धोबी चौराहे पर खड़ा था, तब उसके साझू मधुसुदन एस.डी.एम. बंगले के तरफ से अपनी हीरोहोण्डा मोटरसाइकिल से बस्ती के तरफ जा रहा था, तभी सफेद कलर की टाटा-407 मेटाडोर, मलाजखण्ड तरफ से तेजी से आई थी और उसके साझू की मोटरसाइकिल को पीछे की तरफ से टक्कर मारा था, तब उसने दौड़कर जाकर देखा तो मधुसुदन के सिर व पैर में चोट आई थी। उन लोगों ने मेटाडोर को रोका था। मेटाडोर के ड्राइवर ने अपना नाम पीर

मोहम्मद बताया था। आरोपी मेटाडोर को तेज रफ्तार से चला रहा था। उसके द्वारा उक्त घटना की रिपोर्ट बैहर थाने में की गई थी। उसके द्वारा की गई रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस वालों ने उसके समक्ष आरोपी से मेटाडोर व मेटाडोर से संबंधित कागजात जप्त कर जप्तीपत्रक बनाया था। उसने साडू मधुसुदन को ईलाज के लिए मलाजखण्ड लेकर गया था, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी।

6— उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में घटना के समय अचानक रोड पर टकराने की आवाज आई तब उसका ध्यान गया और उसने देखा कि किसी का एक्सीडेंट हो गया है। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि वह आवाज सुनने के बाद मौके पर पहुंचा तो देखा कि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति उसका साडू मधुसुदन था तथा उसने दुर्घटना के पूर्व मधुसुदन को आते हुए नहीं देखा था। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि वह यह नहीं बता सकता कि मेटाडोर वाहन 407 किस गति से आ रही थी। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि आरोपी ने घटना के बाद कुछ ही दूरी पर वाहन खड़ा कर दिया था और थाना मलाजखण्ड जाकर उसने ही वाहन का नंबर बताया था। इस प्रकार साक्षी ने अपने मुख्यपरीक्षण में आरोपी के द्वारा तेज रफ्तार से वाहन चलाए जाने का कथन किया है, किन्तु प्रतिपरीक्षण में उक्त वाहन किस गति से आ रहा था, इसकी जानकारी न होना व्यक्त किये जाने से और घटना के पश्चात् मौके पर आवाज सुनकर पहुंचने का कथन करने से यह स्पष्ट होता है कि साक्षी के सामने दुर्घटना घटित नहीं हुई है, बल्कि वाहन टकराने की आवाज सुनकर वह मौके पर पहुंचा है। यद्यपि साक्षी के कथन से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि घटना के समय आरोपी के द्वारा दुर्घटना कारित वाहन 407 चलाया जा रहा था और उक्त वाहन से मृतक मधुसुदन की मोटरसाइकिल की टक्कर होने से चोट लगने के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी।

7— लियाकत खान (अ.सा.2) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को जानता है। लगभग दो वर्ष पूर्व शाम के समय वह मजिस्ट्रेट बंगले के चौराहे के पास किराना दुकान में खड़ा था, तभी आरोपी मलाजखण्ड तरफ से मेटाडोर चलाते हुए आया और हीरोहोण्डा मोटरसाइकिल को ठोस मारा था, जिससे उसके चालक के सिर में चोट आई थी। फिर उन लोगों ने आरोपी के साथ हीरोहोण्डा चालक को थाना

लेकर आए थे। हीरोहोण्डा चालक का नाम उसे याद नहीं है, वह मेश्राम वकील साहब का जवाई था। साक्षी को उसका पुलिस बयान का अ से अ भाग पढ़कर सुनाए जाने पर साक्षी ने ऐसा बयान नहीं देना व्यक्त किया। उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि घटना के समय पानी गिर रहा था तथा मोटरसाइकिल चालक की निगाहें विपरित दिशा की ओर थी और एक पैर मोटरसाइकिल के लैंग गार्ड पर रखा हुआ था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि मोटरसाइकिल चालक ने मोटरसाइकिल को लहराते हुए 50-60 कि.मी. प्रति घंटे की रफ्तार से चलाते हुए वह मेटाडोर के पिछले चक्के में टकरा गया, जिससे पिछले चक्के के उपर के डाले की हुक में उसका सिर फंस गया था और तुरंत ही मेटाडोर रुक गई थी। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि मेटाडोर साधारण स्पीड से आ रही थी। इस प्रकार साक्षी ने स्वयं मोटरसाइकिल चालक की गलती से दुर्घटना कारित होना बताया है तथा साक्षी के कथन से यह प्रकट होता है कि आरोपी की दुर्घटना में कोई गलती नहीं थी।

8- अजीज खान (अ.सा.3) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि वह आरोपी पीर मोहम्मद को नहीं जानता है तथा मृतक मधुसुदन को भी नहीं जानता। करीब साल भर पूर्व शाम 5-6 बजे वह मलाजखण्ड स्थित बैहर सोसाईटी में गया था। एक मेटाडोर मलाजखण्ड से आ रही थी और एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से तेज गति से मलाजखण्ड रोड़ को क्रॉस कर रहा था, तभी वह मेटाडोर से टकरा गया था। वे लोग उस समय सोसाईटी के बाहर खड़े हुए थे। वाहन मेटाडोर उस समय 20-30 कि.मी. प्रति घंटे की गति से चल रही थी। उक्त वाहन को न्यायालय में उपस्थित आरोपी चला रहा था। एक्सीडेन्ट के पश्चात मेटाडोर रुकी और ड्राइवर व क्लीनर ने मोटरसाइकिल चालक को अस्पताल ले गया था। मोटरसाइकिल चालक के सिर पर काफी चोटें आई थी। साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने इस सुझाव से इंकार किया है कि मेटाडोर वाहन तेज रफ्तार से आ रहा था। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि घटना के समय पानी गिर रहा था और मोटरसाइकिल चालक अत्यधिक तेज गति से आ रहा था तथा अपने दोनों पैर मोटरसाइकिल के सामने के सुरक्षा गार्ड में रखा हुआ था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया मोटरसाइकिल रोड़ पर 70-80 कि.मी. प्रति घंटे की रफ्तार से लहराते हुए आ रहा था और मेटाडोर के



कंडक्टर साईड से टकरा गया था। इस प्रकार साक्षी ने स्वयं मोटरसाइकिल चालक की गलती से दुर्घटना कारित होना बताया है तथा साक्षी के कथन से यह प्रकट होता है कि आरोपी की दुर्घटना में कोई गलती नहीं थी।

9— मृतक मधुसुदन की मृत्यु पूर्व उसकी चोटों का परीक्षण करने वाले चिकित्सक डॉ. एल.एन.एस. उइके (अ.सा.5) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-30.06.2001 को सी.एच.सी. बैहर में पदस्थ था। उक्त दिनांक को मधुसुदन वल्द जयचंद उम्र-24 वर्ष, जाति महार, निवासी मचगांव सालेटेकरी को पुलिस थाना बैहर के आरक्षक क्रमांक-225, खेमलाल द्वारा शाम 6:30 बजे मुलाहिजा हेतु लाया गया था। उसके द्वारा आहत का परीक्षण करने पर उसने आहत को आई चोटें कड़ी एवं बोथरी वस्तु से आना प्रतीत होती थी तथा गंभीर प्रकृति की थी तथा उसके परीक्षण के दो घंटे के पूर्व की थी। जिसकी परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-3 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। इस साक्षी ने मृतक के मृत्यु पूर्व चोटों का परीक्षण में उसे दुर्घटना के कारण गंभीर प्रकृति की चोट आने की पुष्टि की है।

10— डॉक्टर के.एस. लाहोरी (अ.सा.4) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि दिनांक-01.07.2001 को 3:15 बजे आरक्षक क्रमांक-587, धरमचंद बघेल चौकी सालेटेकरी, थाना बिरसा द्वारा मधुसुदन पिता जयचंद बोरकर उम्र-24 वर्ष, जाति महार, निवासी-ग्राम सालेटेकरी का शव, शव परीक्षण हेतु लाया गया था, जिसका पोस्टमार्टम उसके द्वारा किया गया था। जिसकी परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-2 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने मृतक के शरीर के बाहरी एवं अंदरूनी हिस्सों में गंभीर चोट कारित होने की पुष्टि करते हुए यह अभिमत दिया है कि मृतक की मृत्यु सिर की चोट, छाती की पसलियों में अस्थिभंग और फेफड़े के फटने के कारण हुई थी। इस प्रकार साक्षी ने मृतक की दुर्घटना में आई चोटों के कारण मृत्यु कारित होने की पुष्टि की है।

11— खेलचंद पटले (अ.सा.6) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि वह दिनांक-01.07.01 को थाना मलाजखण्ड में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। मृतक मधुसुदन की मृत्यु की सूचना थाने में प्राप्त होने पर वह मलाजखण्ड ताम्र परियोजना के अस्पताल गया था, जहां उसने मृतक मधुसुदन के शव का निरीक्षण कर नक्शा

पंचायतनामा प्रदर्श पी-4 बनाया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने शव निरीक्षण के पश्चात् उसकी व गवाहों की राय थी कि मृतक मधुसुदन की मृत्यु दुर्घटना में आई चोटों के परिणामस्वरूप हुई थी, इस कारण शव का पोस्टमार्टम कराए जाने का कथन किया है।

12- गनपत कटरे (अ.सा.7) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि वह दिनांक-02.07.01 को थाना बैहर में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को रात्रि 02:30 बजे आरक्षक गुलाब क्रमांक-630 द्वारा दी गई सूचना के आधार पर मार्ग इंटिमेशन क्रमांक-23/01 लेख किया था, जो प्रदर्श पी-5 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। इस साक्षी ने मृतक की मृत्यु जांच किये जाने की पुष्टि की है।

13- डी.के. शर्मा (अ.सा.8) ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि वह दिनांक-30.06.2001 को थाना बैहर में उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उसने अभियोगी खूबचंद की मौखिक रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक-129/01 की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 दर्ज की थी, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने मामले में प्राथमिकी दर्ज किये जाने की पुष्टि की है।

14- प्रकरण में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत चक्षुदर्शी साक्षी खूबचंद (अ.सा.1) की साक्ष्य से यह प्रकट होता है कि उसने दुर्घटना होते हुए नहीं देखा, बल्कि दुर्घटना होने के तत्काल पश्चात् मौके पर पहुंचकर आरोपी और मृतक की शिनाख्ती की है। साक्षी ने अपनी साक्ष्य में यह भी नहीं बताया है कि आरोपी के द्वारा वाहन 407 को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाया जा रहा था, बल्कि साक्षी का यह कथन है कि वह नहीं बता सकता कि उक्त वाहन किस गति से आ रहा था। उक्त तथ्य से स्पष्ट है कि साक्षी ने आरोपी को दुर्घटना के पूर्व वाहन चलाते हुए नहीं देखा, इस कारण उक्त दुर्घटना में किसकी गलती थी, वह नहीं बता पाया है। अभियोजन की ओर से अन्य चक्षुदर्शी साक्षी लियाकत खान (अ.सा.2) एवं अजीज खान (अ.सा.3) ने स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि घटना के समय मृतक मधुसुदन ने स्वयं मोटरसाईकिल को तेज गति से चलाते हुए मोटरसाईकिल के लैंग गार्ड पर बारिश के कारण उपर पैर रखते हुए अनियंत्रित होकर आरोपी के वाहन 407 के पीछे वाले हिस्से से टकरा जाने के कारण

दुर्घटना कारित हुई। इस प्रकार आरोपित अपराध के संबंध में उक्त चक्षुदर्शी साक्षीगण ने अभियोजन मामलें का समर्थन नहीं किया है।

15— अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य से केवल यह तथ्य प्रमाणित होता है कि घटना के समय आरोपी के वाहन 407 के पिछले हिस्से से मृतक मधुसुदन की मोटरसाईकिल टकरा जाने से मृतक मधुसुदन को गंभीर प्रकृति की चोट आई थी, जिस कारण उसकी मृत्यु हो गई। यद्यपि उक्त दुर्घटना आरोपी के द्वारा वाहन को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाए जाने के कारण कारित हुई या उसके फलस्वरूप मृतक मधुसुदन की मृत्यु हुई हो, ऐसी साक्ष्य प्रकरण में प्रस्तुत नहीं हुई है। मात्र आरोपी के द्वारा दुर्घटना कारित वाहन 407 का चालन किये जाने के तथ्य से ही यह तथ्य स्वमेव प्रमाणित नहीं हो जाता कि आरोपी के द्वारा उक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चालन किया जा रहा था। वास्तव में उक्त महत्वपूर्ण तथ्य के संबंध में पूर्णतः साक्ष्य का अभाव है तथा स्वयं अभियोजन साक्षीगण के कथन से यह स्पष्ट हो जाता है कि मृतक मधुसुदन की गलती के कारण उसकी मोटरसाईकिल आरोपी के वाहन के पिछले हिस्से से टकरा जाने से मृतक मधुसुदन को प्राणघातक चोट कारित हुई थी। इस कारण अभियोजन का मामला आरोपी के विरुद्ध संदेहास्पद हो जाता है।

16— उपरोक्त संपूर्ण विवचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी द्वारा उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान में लोकमार्ग पर वाहन टाटा क्रमांक-एम.पी.24/सी-3006 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मृतक मधुसुदन की मृत्यु ऐसी स्थिति में कारित की, जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती है। अतएव आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-304(ए) के अंतर्गत दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

17— आरोपी के जमानत मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।

18— प्रकरण में आरोपी दिनांक-29.04.2015 से दिनांक-02.05.2015 तक न्यायिक अभिरक्षा में रहा है। अतएव उक्त के संबंध में धारा-428 द.प्र.सं का पृथक से प्रमाणपत्र तैयार किया जावे।

19— प्रकरण में जप्तशुदा वाहन टाटा कमांक-एम.पी.24/सी.-3006 मय दस्तावेज के सुपुर्ददार संजय कुमार पिता जसनदास, जाति सिंधी निवासी-दल्लीराजहरा, थाना दल्लीराजहरा, जिला दुर्ग को सुपुर्दनामा पर प्रदान किया गया है, जो अपील अवधि पश्चात उक्त सुपुर्दनामा उसके पक्ष में निरस्त समझा जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावें।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व  
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,  
जिला-बालाघाट

(सिराज अली)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,  
जिला-बालाघाट

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)